न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 19 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
जयराम पुत्र श्री वगतारामजी, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम जम्भेश्वर नगर (कांकाणी), तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम ।

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा।
2. अप्रार्थी की राजकीय पैरोकार ।

आदेश

दिनांक :– 20.01.2020

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 411 रकबा 55 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम श्री जम्भेश्वर नगर (कांकाणी), तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयी हुई स्थित हैं जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार के काबिज काश्त हैं । प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 411 की माठों के कोई स्थाई मुटाम नहीं होने के कारण उक्त खसरा संख्या 411 का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसीलदार साहब लूणी के यहां आवेदन करने पर दिनांक 31.01.2019 को पैमाईश कर मौका फर्द तैयार की गयी । पैमाईश मौका फर्द दिनांक 31.01.2019 अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 411 की सीमाओं के नाप नक्शें अनुसार एवं मौके अनुसार सही पाये गये । वक्त सीमांकन पड़ौसी खातेदार भी उपस्थित रहें एवं पड़ौसी खातेदारों के कब्जें की भूमियां एवं प्रार्थी के कब्जें की खसरा संख्या 411 की भूमियों के मध्य किसी प्रकार का माठ का विवाद नहीं पाया गया । प्रार्थी ने वक्त सीमांकन ही नाप अनुसार मौके पर स्थायी मुटाम लगाने हेतु राजस्व कर्मचारियों से निवेदन किया लेकिन उन्होने प्रार्थी को इसलिये मना कर दिया कि हम बिना किसी न्यायालय के आदेश के पत्थरगढ़ नहीं कर सकते हैं आपको अगर पत्थरगढ़ी करवानी हैं तो आप सक्षम न्यायालय से पत्थरगढ़ी का आदेश करवायें । इसलिये भविश्य में किसी प्रकार का कोई विवाद खसरा संख्या 411 की माठों को लेकर नहीं होवें इसलिये प्रार्थी पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं । एवं अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं तहसीलदार लूणी को आदेश

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

दिया जावें कि ग्राम श्री जम्भेश्वर नगर (कांकाणी), तहसील लूणी के खसरा संख्या 411 रकबा 55 बीघा 13 बिस्वा भूमि के मौके पर स्थायी मुटाम लगायें जावें ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी की तामिल होने के बाद उक्त प्रकरण में गुणावगुण पर बहस सुनीय गयी । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया । अप्रार्थी ने नियमानुसार आदेश पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । दिनांक 31.01.2019 को उक्त खसरा संख्या 411 का सीमाज्ञान किया जा चुका हैं लेकिन पत्थरगढ़ी नहीं की गयी हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये ज़ाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थी की खातेदारी के कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 411 जो कि ग्राम श्री जम्भेश्वरनगर (कांकाणी), तहसील लूणी, जिला जोधपुर में रकबा 55 बीघा 13 बिस्वा स्थित हैं उक्त खसरा संख्या 411 की सेटलमेन्ट नक्शें के आधार पर मौके पर पत्थरगढ़ी करें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

20/01/20

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner